सामान्य भविष्य निधि के लेखा क्रमांक आबंटन

खाता आवंटन से पूर्व निम्नलिखित कार्यवाही करें :

लेखा क्रमांक आबंटन संबंधी प्रपत्र निम्नलिखित जानकारी के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध करावें:

(1) सन्दर्भित पत्र में दर्शाया गया पत्र तथा पूर्ण विवरण भेजें ।

(2) लेखा क्रमांक आबंटन प्रपत्र में मुख्य शीर्ष/जन्म तिथि/प्रथम नियुक्ति तिथि/पिता/पति का नाम एम्प्लोयी कोड एवं पदोन्नति पूर्व मूल नियुक्ति तिथि लिखकर भेजें ।

(3) प्रपत्र आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्‌वारा अग्रेषित किया जाए ।

(4) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर भेजें ।

(5) अभिदाता को पूर्व में ही लेखा क्रमांक आबंटित नहीं होना चाहिये ।

(6) मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनांक 02/04/2005 के अनुसार दिनांक 01/01/2005 को या उसके पश्चात् मध्य प्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मध्य प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे । अतः उक्त आदेश के तहत संदर्भित पत्र में दर्शाये गये सामान्य अभिदाताओं को इस कार्यालय द्‌वारा सा.भ.नि लेखा क्रमांक आबंटन नहीं किया जाना है ।

(7) महालेखाकार महोदय के आदेश सचिवालय म.ले. द्‌वितीय/एसटीआर-1/306 दिनांक 07/02/2013 के अनुसार 1 अप्रेल 2013 से विभागीय भविष्य निधि के अभाव में सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक जारी नहीं किया जा सकेगा । अतः सामान्य भविष्य निधि लेखा क्रमांक आबंटन प्रपत्र के साथ ही विभागीय भविष्य निधि की राशि को स्थानान्तरित करने बावत् अभिप्रमाणित विवरण, प्रलेख सम्पूर्ण जानकारी के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध करावें, तत्पश्चात् ही सामान्य भविष्य निधि खाता आबंटित किया जा सकेगा । प्रथम नियुक्ति आदेष एवं पदोन्नति आदेष की सत्यापित प्रति, डीपीएफ अवधि के वर्षवार कटौत्रे विवरणपत्रक में अधतन ब्याज गणनासहित, आहरण सूची, डीपीएफ खाता बंद करने का प्रमाणपत्र संलग्न करके भेजें।

खाता आवंटन के पश्चात निम्नलिखित कार्यवाही करें :-

1. अभिदाताओं को सामान्य भविष्य निधि लेखा क्रमांक आबंटित पष्चात विवरण अभिदाता को पत्र द्वारा अवगत कराया जाएगा ।

2. अभिदाता की जन्म तिथि/प्रथम नियुक्ति तिथि/पिता के नाम से इस कार्यालय को अवगत करावें ।

3. इस कार्यालय को पत्राचार करते समय अभिदाता को आबंटित खाता क्रमांक दर्ज करें ।

4. यदि अभिदाता के पूर्व के कटौत्रे विभागीय भविष्य निधि के अन्तर्गत हुये हों तो संलग्न प्रपत्र अनुसार चाही गयी सम्पूर्ण जानकारी इस कार्यालय को भिजवायें ताकि विभागीय भविष्य निधि की राशि को सामान्य भविष्य निधि में स्थानान्तरित किया जा सके ।

5. कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि लेखा क्रमांक में दर्शायी गयी सीरीज के अन्दर अभिदाता का स्थानांतरण अन्य विभाग में होने के कारण मुख्य शीर्ष बदलने के उपरान्त भी विभागीय स्तर पर नहीं बदले जायें अन्यथा अभिदाता का लेखा गलत हो सकता है ।

6. मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/2005/नियम/ चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 को या उसके पश्चात् मध्य प्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मध्य प्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होंगे । निम्नलिखित अभिदाताओं को खाता क्रमांक आबंटित किये जा रहे हैं ।